

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
(email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072)

क्रमांक: एफ. 5(2)(1)पंचा/रानिआ/2022/10520

दिनांक: 14-10-2026

शासन सचिव एवं आयुक्त
पंचायतीराज विभाग, राजस्थान
जयपुर

विषय: प्रशासकीय समिति को लाभ का पद (Office of profit) की श्रेणी में माना जायेगा
अथवा नहीं, के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने बाबत।

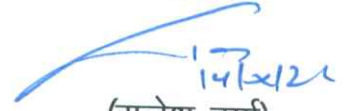
संदर्भ: आपका राजकाज पत्रांक 25013337 दिनांक 12.10.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आप द्वारा प्रशासकीय समिति में ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वे व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के उपसरपंच एवं वार्ड पंच रहे हैं, को प्रशासकीय समिति का सदस्य बनाया गया था। उक्त गठित प्रशासकीय समिति को लाभ का पद की श्रेणी में माना जायेगा अथवा नहीं के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

प्रकरण का परीक्षण करवाया गया। बाद परीक्षण प्रशासकीय समिति के पदों को लाभ की श्रेणी में नहीं मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावे।

भवदीय


(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव